

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम )

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

( Email= bsmfcipatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०/रोजगार ऋण-03-47/2022

पटना, दिनांक: -----

## स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-06.07.2022 को चयनित आवेदकों में से लघु ऋण के 01 आवेदक से प्रमण्डलीय प्रभारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना द्वारा दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निस्पादित कराकर ऋण स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यलय को भेजा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पत्रांक 755 दिनांक 06.06.23 के माध्यम से एकरारणामा प्राप्त हुआ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना की अनुशंसा के आधार पर 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से स्टाम्प शुल्क एवं 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्रम	आई० डी० न०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imbross Charge	Net Payable Amount
1.	6	322	FIZA KAUSER, D/o- SHAMIM AHMAD, Vill.-DAMARIYA, Block- PATNA SADAR, PS-GARDANIBAGH, PO-PATNA, Distt.-PATNA-800002, Mob:- 9508573655	A/c No.:- 446010110019425 ,BKID0004460	GENERAL STORE	100000	500 + 2030 = 2530	97470
<b>TOTAL</b>						<b>1,00,000</b>	<b>2,530</b>	<b>97,470</b>

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक:----- 2231

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09-10-2023

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना/ ऋण शाखा/ ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/

प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

*(Handwritten signature)*

सहायक निदेशक